

बिहार सरकार
संसदीय कार्य विभाग

॥ अधिसूचना ॥

अधि०सं०-सं०का०-०१ / वि०मं०(महानुभाव)०८-०५ / २०२६-..... / पटना, दिनांक-.....२०२६

बिहार विधान मण्डल नेता विरोधी दल, संसदीय सचिव, सचेतक और सदन नेता (वेतन एवं भत्ता) नियमावली, २००६ के नियम-३ के आलोक में श्री रत्नेश कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा को संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना सं०-५४, दिनांक-१२.०१.२०२६ द्वारा दिनांक-१९.१२.२०२५ के प्रभाव से राज्य मंत्री के दर्जा के समान वेतन, भत्ते और अन्य सुविधायें प्रदत्त हैं। फलस्वरूप उक्त नियमावली के नियम २(ट) तथा नियम ३(ड) से इन्हें उक्त दर्जा के अनुरूप निजी स्टाफ की सुविधा प्राप्त है।

२. बिहार (मंत्रियों के वेतन और भत्ते) अधिनियम, २००६ के धारा २(ख) एवं बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली, २००६ के नियम १८ से निर्धारित अनुसूची-१ एवं मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग की अधिसूचना सं०-२८८, दिनांक-२३.०६.२०१४ द्वारा मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री को सरकारी एवं बाह्य सेवा के निजी कर्मचारी की सुविधा अलग-अलग प्रावधानित की गयी है।

३. उपरोक्त वर्णित अधिनियम एवं नियमावली के प्रावधानों के आलोक में श्री रत्नेश कुमार, माननीय सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा के द्वारा सरकारी पदाधिकारी के श्रेणी में श्री प्रवीण कुमार, बि०स०से० कोटि क्रमांक-५९२/२४, अवर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उनके आप्त सचिव (राजपत्रित) के पद पर नियुक्त करने की अनुशंसा पत्रांक-आ०का० १९, दिनांक-१५.०१.२०२६ द्वारा इस स्वघोषणा के साथ दी गयी है कि वे उनके सगे-सम्बन्धी नहीं हैं। उक्त के आलोक में श्री प्रवीण कुमार की सेवा संसदीय कार्य विभाग को सौंपने के लिये पत्रांक-११९, दिनांक-२२.०१.२०२६ द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग से अनुरोध किया गया था।


४. सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना ज्ञापांक-२४८३, दिनांक-०३.०२.२०२६ के द्वारा श्री प्रवीण कुमार, बि०स०से०, अवर सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी कल्याण विभाग, बिहार, पटना की सेवा इस विभाग को सौंपी गयी है। तदनुसार इनकी सेवा महानुभाव के आप्त सचिव (राजपत्रित) के रूप में कार्य करने के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर बिहार विधान सभा सचिवालय को सौंपने हेतु अधिसूचना निर्गत की जाती है। इनकी सेवाएं इस अधिसूचना के निर्गत होने के पश्चात् योगदान की तिथि से उक्त महानुभाव के कार्यकाल तक बनी रहेगी। परन्तु महानुभाव के द्वारा उसके पहले भी किसी भी तिथि से इनकी सेवा समाप्त कर पैतृक विभाग को वापस की जा सकती है। सेवा समाप्ति के बाद वे अपने पैतृक विभाग में योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

५. श्री प्रवीण कुमार, आप्त सचिव के वेतनादि का भुगतान बिहार विधान सभा सचिवालय द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की प्रतियां सभी सम्बन्धित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्राप्त करा दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-
(सुधांशु शेखर)
सरकार के अवर सचिव।



ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)08-05 / 2026-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-महालेखाकार, बिहार, पटना, कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार,
सिंचाई भवन, पटना, अवर सचिव, वैयक्तिक दावा कोषांग, (वित्त विभाग) पटना / प्रभारी
सचिव, बिहार विधान सभा, लेखा-शाखा, बिहार विधान सभा, श्री रत्नेश कुमार, माननीय
सचेतक, सत्तारूढ़ दल, बिहार विधान सभा एवं श्री प्रवीण कुमार, आप्त सचिव (राजपत्रित) को
सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)08-05 / 2026-..... / पटना, दिनांक-.....2026
प्रतिलिपि-श्री मनोज कुमार, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना
को उनके पत्रांक-2483, दिनांक-03.02.2026 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-सं0का0-01 / वि0मं0(महानुभाव)08-05 / 2026-~~254~~ / पटना, दिनांक-~~19.02~~2026
प्रतिलिपि-आईटी0 मैनेजर, संसदीय कार्य विभाग, पटना को विभागीय वेबसाइट
पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।


19-02-2026

सरकार के अवर सचिव।